

बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

पत्रांक – वि० प्रा० (I) स्था०-वि०प्रो०स०-01/2014-

पटना, दिनांक –


आदेश

विभागीय अधिसूचना संख्या-93 दिनांक-13.01.2015 द्वारा गठित विभागीय प्रोन्नति समिति को भंग करते हुए बिहार अभियंत्रण शिक्षा सेवा नियमावली-2014 एवं बिहार पोलिटेकनिक शिक्षा सेवा नियमावली-2014 में निहित प्रावधान के आलोक में राजपत्रित कोटि के पदों के प्रोन्नति/स्थापना से संबंधित मामलों पर विचार एवं अनुशंसा करने हेतु विभागीय प्रोन्नति समिति का पुनर्गठन निम्नवत् किया जाता है:-

- | | |
|--|------------|
| 1. प्रधान सचिव, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग | अध्यक्ष |
| <i>सदस्यगण</i> | |
| 2. अपर सचिव, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग | सदस्य |
| 3. निदेशक, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग | सदस्य |
| 4. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मनोनित अनुसूचित जाति/
जनजाति का प्रतिनिधि पदाधिकारी | सदस्य |
| 5. मनोनित विषय विशेषज्ञ | सदस्य |
| 6. संयुक्त निदेशक, (त०) | सदस्य सचिव |


02. यह समिति राज्य सरकार के नियमों तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (तकनीकी संस्थानों में राजपत्रित कोटि के शिक्षकों के लिए कैरियर संवर्द्धन योजना) द्वारा समय-समय पर जारी विनियमन में निहित प्रावधानों के आलोक में शिक्षकों के प्रोन्नति एवं अन्य समस्याओं पर विचार करेगी तथा राज्य सरकार को अपनी अनुशंसा समर्पित करेगी।


03. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।


अपर सचिव,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक – वि० प्रा० (I) स्था०-वि०प्रो०स०-01/2014-839 पटना, दिनांक – 18/3/16

प्रतिलिपि – माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्राचार्य, सभी अभियंत्रण माहाविद्यालय/सभी राजकीय पोलिटेकनिक एवं राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थान/सचिव, राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद, बिहार, पटना एवं सभी विभागीय पदाधिकारी, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


अपर सचिव,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।


अपर सचिव,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।